भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 118
मंगलवार, 30 जुलाई, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड

***118 श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह :**
श्री रवींद्र शुक्ल उर्फ रवि किशन :

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना के उद्देश्य और लाभ क्या है;
(ख) बीबीएसएसएल से देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और बीज उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने में किस प्रकार सहायता मिलने की संभावना है;
(ग) बीबीएसएसएल के लाभ का किस प्रकार उपयोग किए जाने की संभावना है; और
(घ) बीबीएसएसएल की स्थापना के बाद से किसानों के जीवन में किस प्रकार से कितना परिवर्तन आया है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): सदन के पटल पर एक विवरण रखा गया है।

दिनांक 30 जुलाई, 2024 को उतरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 118 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की है । BBSSL को IFFCO, KRIBHCO, NAFED, NDDB और NCDC द्वारा संवर्धित किया गया है। BBSSL की प्रारंभिक चुकता पूंजी पांच प्रवर्तकों में से प्रत्येक द्वारा 50 करोड़ के योगदान के साथ रु. 250 करोड़ रुपये और अधिकृत शेयर पूंजी रु 500 करोड़ है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड फसल पैदावार में सुधार और पारंपरिक प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन हेतु एक प्रणाली के विकास के लिए सहकारी नेटवर्क के माध्यम से एकल ब्रांड नाम के तहत गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, प्रापण और वितरण कार्य करेगी । भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड प्रमाणित बीजों के उत्पादन में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करके बीज प्रतिस्थापन दर, किस्म प्रतिस्थापन दर की वृद्धि में मदद करेगाी । यह समिति प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाकर 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के माध्यम से दो पीढ़ियों के बीजों अर्थात आधार और प्रमाणित (प्रजनक बीजों को सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों अर्थात ICRISAT, IRRI, CIMMYT आदि से प्राप्त किया जाएगा) के उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणीकरण, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित करेगी।

(ख): BBSSL सहकारी समितियों के माध्यम से भारत में गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे आयातित बीजों पर निर्भरता कम होगी, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा "मेक इन इंडिया" और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा।

(ग): भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की उपविधियों के खंड 55 में निवल लाभ के वितरण के उपबंधों का रेखांकन निम्नानुसार किया गया है:-

(1) अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अध्याधीन, निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर साधारण निकाय निम्निलिखित रीति से निवल लाभ का विनियोजन करेगा, अर्थात्
   i) निवल लाभ का न्यूनतम 25% संचित कोष में हस्तांतरित करना
   ii) अपने शुद्ध लाभ का एक प्रतिशत सहकारी शिक्षण कोष में क्रेडिट करना
   iii) आकस्मिक नुकसान को पूरा करने के लिए शुद्ध लाभ के न्यूनतम 10% की राशि को आरक्षित कोष में अंतरित करना

(2) उपर्युक्त उपखंड के तहत निवल लाभ को विनियोजित करने के उपरांत बोर्ड की सिफारिशों की अनुशंसा पर आम निकाय निम्नलिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए निवल लाभ के शेष को विनियोजित करेगा:
   क. चुकता शेयर पूंजी से अपने सदस्यों को 20 प्रतिशत की दर से लाभांश के भुगतान का लक्ष्य करेगा:

परंतु यह कि यदि किसी वर्ष में अवितरित निवल लाभ में कमी के कारण विशिष्ट दर पर लाभांश का भुगतान नहीं होने पर आम निकाय, निम्नतर दर का निर्णय कर सकता है जिसपर सदस्यों को लाभांश से भुगतान किया जाएगा ।

ख. शिक्षा निधि में किए गए अंशदान का उपयोग निदेशक बोर्ड की स्वीकृति से नियमित आधार पर सदस्यों, निदेशकों और कर्मियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा;

ग. सहकारी आंदोलन के विकास के प्रायोजन या लागू पूर्त विन्यास अधिनियम की धारा 2 में दी गई व्याख्या के अनुसार किसी पूर्त प्रयोजन से से जुड़े चंदे;

घ. समिति के कर्मी को अनुग्रह राशि का भुगतान;

ङ. किसी अन्य कोष का सृजन;

च. अवितरित लाभ, यदि कोई हो, को समिति के आरक्षित कोष में जोड़ दिया जाएगा ।

किसी सदस्य से प्राप्त उत्पादों की बिक्री से प्राप्त शुद्ध अधिशेष या सदस्यों, बोर्ड या आम निकाय की चुकता शेयर पूंजी पर भुगतान किए जाने वाले लाभांश, जो भी दशा हो, के संदर्भ में खंड 54 और 55 (1) एवं (2) में किसी बात के होते हुए भी, उत्पाद के अंतिम मूल्य के रूप में शुद्ध अधिशेष और सदस्यों को लाभांश के पारदर्शी व न्यायोचित भुगतानों में संतुलन बनाए रखा जाएगा ताकि सदस्यों के बीच शुद्ध अधिशेष और लाभांश का बराबर वितरण सुनिश्चित हो सके ।

(घ): 25.01.2023 को अपनी स्थापना के बाद से, BBSSL अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। BBSSL ने गहन सदस्यता अभियान चलाया है और अब तक देश भर से 11,713 सहकारी समितियाँ इसकी सदस्य बन चुकी हैं। BBSSL इन सहकारी समितियों के किसान सदस्यों को, जो गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन में रुचि रखते हैं, ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से पंजीकृत करेगा और उसके बाद उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन की विभिन्न गतिविधियों में शामिल करेगा। BBSSL की गतिविधियों से सहकारी समितियों की समावेशी विकास मॉडल द्वारा "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य की प्राप्ति में भी मदद मिलेगी जहां उन्नत बीजों के उत्पादन और उच्च उपज किस्म (HYV) के बीजों के उपयोग द्वारा फसलों के अधिक उत्पादन से सदस्यों को बेहतर कीमत की प्राप्ति होगी और समिति द्वारा उत्पन्न अधिशेष से वितरित लाभांश से भी सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा ।

*****